राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21 1661-1669-K 16.12.2021 दिनांकः–

प्रबन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेंशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 (प्रतिसंलग्न) द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो की पालना में सभी बैंको को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैकों द्वारा स्वंय के स्तर से नहीं किया जावें, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा।

इस संबंध में कोषाधिकारियो को बैंक द्वारा प्रेषित ऑनलाईन स्क्रोल से निम्न प्रकार की पेंशन का भुगतान किसी बैंक शाखा द्वारा स्वंय के स्तर से दिनांक 01.01.2022 से नहीं करने के संबंध में कृपया अपने स्तर से संबंधित को पाबंद करावें।

क्र.सं.	पेंशन का प्रकार	बजट मद
1	Civil Pension	2071-01-101-01-00
2	Family Pension	2071-01-105-01-01
3	Panchayat Samiti Civil	2071-01-110-01-00
4	Panchayat Samiti Family	2071-01-110-01-00
5	Muncipal Civil	8011-00-106-02-00
6	Muncipal Family	8011-00-106-02-00
7	Khadi Civil	2071-01-110-03-00
8	Khadi Family	2071-01-110-03-00
9	AIS Civil	8658-00-101-09-01
10	AIS Family	8658-00-101-09-01
11	NPS Family	2071-01-200-01-00
12	Judge Civil	2071-01-101-01-00
13	Judge Family	2071-01-105-01-01
14	AIS-NPS-Family	8658-00-101-09-03
15	High Court Magistrate	2071-01-106-01-01

कृपया यह भी सुनिश्चित करे की पेंशन वितरण हेतु कोषाधिकारियो द्वारा पेंशन पत्रावलियां प्रेषित की हुई है किन्तु बैंको द्वारा उनका भुगतान प्रारम्भ नही किया गया है एवं प्रोसेस हेतु ऐसे प्रकरण अभी पाईपलाईन है, उनका भुगतान भी तुरन्त प्रभाव से रोका जाये एवं ऐसी पत्रावलियां संबंधित कोषाधिकारी को तुरन्त लौटायी जायें।

अतः आप दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं करें। दिनांक 01.01.2022 को या इसके पश्चात् बैंको द्वारा किए गये पेंशन भुगतान का पुनर्भरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय सोलंकी) 16/12/2021

निदेशक

क्रमांकः— निपेवि / पीसी / ई—कुबेर / 2020—21 1670-1711-K 16.12.2021 दिनांकः—

प्रतिलिपिः—

1 .क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, टोंक रोड जयपुर—302004
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (पेंशन) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.10 (11)वित्त / राजस्व / 2015 / लूज दिनांक 16.12.2021 के क्रम में।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) सचिवालय जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (नियम), विभाग सचिवालय जयपुर।
5. निदेशक वित्त (बजट) विभाग सचिवालय जयपुर।
6. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राज. जयपुर।
7. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आप सभी बैंक शाखाओ को इस संबंध में निर्देशित करावें एवं आगे से कोई पत्रावली बैंको को नहीं भेजी जाए।
8. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर,उदयपुर, बीकानेर,कोटा,भरतपुर।

निदेशक

OSD/Sir/246

16/12/21
SP

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015लूज

जयपुर, दिनांकः 16 DEC 2021

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर से पेंशन वितरण के संबंध में।

संदर्भः– आपकी एकल पत्रावली संख्या निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/डीपीडी /पीएस/2021/30 दिनांक 06.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एकल पत्रावली मूल ही वापिस लौटाते हुए निर्देशानुसार निवेदन है कि दिनांक 14.12.2021 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त के कक्ष में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो 01.01.2022 को भुगतान की जायेगी, को बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से वितरित किया जावे।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के Appendix VI में Scheme for Payment of Pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by Public Sector Banks के अनुसार वर्तमान में पेंशन वितरण का कार्य बैंको के द्वारा किया जा रहा है। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत Appendix VI में शिथिलन प्रदान करते हुए माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जायेगी, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से वितरित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सभी बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक इसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है, अतः उपरोक्त निर्णय की पालना में पेंशन विभाग के माध्यम से सभी बैंको को यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि माह दिसम्बर,

P.T.O.

2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंको के द्वारा नहीं किया जाये क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जायेगा। अतः सभी बैंको को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुए सुनिश्चित करे कि बैंको द्वारा दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग के द्वारा बारकोड आईडी संख्या 592100155 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रदत्त शिथिलन के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार

16/12/2021

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, बजट वित्त विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार पेंशन वितरण हेतु रिर्जव बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 01.01.2022 की पेंशन का बैंको को पुनर्भरण नहीं कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पे–मैनेजर के माध्यम से दिनांक 01.01.2022 की पेंशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराये।

\\

संयुक्त शासन सचिव